(3)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

रैयती अपील वाद संख्या–28 / 2017–18

सच्चिदानंद राय एवं अन्य बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
10/10/18	**आदेश** यह अपील भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा बकास्त / गैरमजरूआ मालिक भूमि रैयती अभिलेख सं0 12के0 / 2017–18 में दिनांक 08.11.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गयी है। अपीलार्थी का कथन है कि बिहटा सैन्य हवाई अड्डा के विस्तार के लिए मौजा कुतुलपुर, थाना नं0–56, खाता सं0–443 खेसरा सं0–2038 रकवा 22डी0 का अर्जन किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड सर्वे खतियान में बकास्त मालिक दर्ज है। प्रश्नगत भूखण्ड आवेदकगण के पूर्वजों के द्वारा दिनांक–06.04.1955 के निबंधित वसीका सं0 प्राप्त किया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा आवेदक का पक्ष सुने बिना प्रश्नगत भूखण्ड को सरकारी घोषित कर दिया गया। वाद सं0–12के0 / 2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–08.11.2017 को पारित आदेश का अवलोकन किया। आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया, जिस कारण भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। वाद को प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को आदेश दिया जाता है कि वे आवेदकगण का पक्ष सुन कर युक्तियुक्त आदेश पारित करें। आवेदकगण भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। **लेखापित एवं संशोधित।** Sd/- 10/10/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना Sd/- 10/10/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	